न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा– 46(1) बी के तहत
अनुमति वाद संख्या –आर. एम. 105/2022–23

बुद्धु देवी...विक्रेता

बनाम

भरत महतो.. ....क्रेता

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10.12.2022		

विक्रेता का नाम एवं पता– आवेदिका/विक्रेता बुदधु देवी पिता/पति–स्व० दुर्योधन महतो निवास ग्राम–दानाडीह, थाना–सोनाहातु जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–OBC (पिछड़ी–I) पेशा– गृहिणी।

क्रेता का नाम एवं पताः– भरत महतो पिता–कार्तिक महतो जाति– जाति–OBC (पिछड़ी–I), पेशा–खेतीवारी निवास ग्राम–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) ।

विद्वान अधिवक्ता का नामः– श्री मनोज कुमार चौधरी।

विकेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 19/11/2022 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) बी के तहत क्रेता विपक्षी/क्रेता भरत महतो पिता–कार्तिक महतो जाति–जाति–OBC (पिछड़ी–I), पेशा–खेतीवारी निवास ग्राम–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा–बारूहातु, थाना–सोनाहातु, थाना सं०–60 जिला–राँची,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
186	1805	05½ डीसमील	उ०–काला रास्ता द०–सहायक रास्ता पू०–एतो महतो वगैरह प०–अजित महतो वगैरह

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी सोनाहातु का पत्रांक–554 (II) दिनांक 11/11/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत हैः–

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत रामन महतो वगैरह के नाम से दर्ज है।
2. खतियानी रैयत से आवेदिका का संबंध ससुर का है।
3. पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम रामन महतो वगैरह है ।
4. पंजी–II रैयत के साथ आवेदक का ससुर–पुतोहु का संबंध है।
5. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2002–2003 तक वसूली की गई है।
6. खतियानी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
7. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म है।
8. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका के हिस्सेदारों की आपत्ति नहीं है।
9. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका का अंश 1.05 एकड़ है।

10·12·2022

10. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा–0.99½ एकड़ जमीन शेष रह जायगा।
11. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान बनाने हेतु बिक्री कर रहे है।
12. प्रस्तावित भूमि की बिक्री किसी संस्था/सरकारी/समिति के पास नहीं की जा रही है।
13. क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य है।
14. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी है।
15. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। आवेदित भूमि का पूर्व में बिक्री नहीं की गई है।
16. आवेदित भूमि की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रहा है।
17. आंवेदित जमीन भूमि घोटाला/वन भूमि/मसना/सरना/हड़गड़ी एवं अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित नहीं है।
18. आवेदिका भूमि के बिक्री के पश्चात भी आवेदक के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) बी के तहत विक्रेता आवेदिका/विक्रेता बुदधु देवी पिता/पति–स्व० दुर्योधन महतो निवास ग्राम–दानाडीह, थाना–सोनाहातु जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–OBC (पिछड़ी–I) पेशा– गृहिणी ने क्रेता/विपक्षी भरत महतो पिता–कार्तिक महतो जाति–OBC (पिछड़ी–I), पेशा–खेतीवारी निवास ग्राम–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) के हाथों बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 19/11/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता आवेदिका/विक्रेता बुदधु देवी पिता/पति–स्व० दुर्योधन महतो निवास ग्राम–दानाडीह, थाना–सोनाहातु जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–OBC(पिछड़ी–I) पेशा–गृहिणी को विपक्षी/क्रेता भरत महतो पिता–कार्तिक महतो जाति– जाति–OBC (पिछड़ी–I), पेशा–खेतीवारी निवास ग्राम–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) के हाथों बिकी करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (I) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की विकी सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगें।

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा–बारूहातु, थाना–सोनाहातु, थाना सं०–60 जिला–राँची,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
186	1805	05½ डीसमील	उ०–काला रास्ता द०–सहायक रास्ता पू०–एतो महतो वगैरह प०–अजित महतो वगैरह

लेखापित एवं सशोंधित

10/12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू।

10/12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.02.15 17:08:30 +05:30
Location: 10.93.79.19